राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 01122/2023

संत कुमार पाठक **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान।
3. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बीकानेर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) प्राथमिक शिक्षा, नागौर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.03.2023
आदेश की दिनांक : 06.04.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुनील कुमार सिंगोदिया, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित आधारों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन पंचायत समिति रियानबाड़ी, नागौर में दिनांक 26.01.1986 को अस्थाई रूप आधार पर की गई थी। अपीलार्थी ने दिनांक 31.03.1993 तक कार्य कियाा तथा तत्पश्चात अपीलार्थी की सेवाये समाप्त कर दी गयी तथा समय–समय पर सेवाये बढ़ायी गयी तत्पश्चात दिनांक 03.01.2000 को आयोजित जिला स्थापना समिति, जिला परिषद नागौर की बैठक में अपीलार्थी का वेतनमान 4500–7000 में शिक्षक के पद पर चयन हो जाने पर अपीलार्थी को आदेश दिनांक 03.01.2000 द्वारा पंचायत समिति डीडवाना में पदस्थापित कर दिया गया। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति 26.12.1986 को हुई थी एवं अपीलार्थी की अनुबंध की अवधि पूरी होने के बावजूद भी अपीलार्थी ने अपने कार्यकाल के दौरान सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण पाठयक्रम पास किया था लेकिन अपीलार्थी को अनुबंध के आधार पर प्रदान की गई सेवा का चयन वेतनमान और अन्य सेवा लाभों का लाभ देने के लिए नहीं गिना गया है तथा अपीलार्थी की सेवाओं की गणना वर्ष 2000 से की जाती है। अपीलार्थी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्याय

की मांग के लिए नोटिस भी दिया। अपीलार्थी को 09,18 और 27 वर्ष की सेवा का लाभ दिया गया था।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा 9,18 एवं 27 वर्ष सेवा पूर्ण होने पर दिए गए आदेश द्वारा लाभ को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी की सेवाओं को उसकी प्रारंभिक नियुक्ति से सेवा अवधि की गणना करते हुए समस्त चयनित वेतनमान का लाभ एवं पेंशन परिलाभ आदि दिए जाने के आदेश फरमाए जावे।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी चार सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना–पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)